पत्रांक : 09 / बि0वि0प0स0–10 / 2019 286

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

प्रेषक,

अरशद फिरोज,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति,
पटना।

पटना, दिनांक 23/5/2019

विषय : इन्टरमीडिएट परीक्षा हेतु कक्षा–11 एवं 12 के लिए शैक्षणिक सत्र 2019–21 से नयी विषय योजना लागू करने पर विभागीय सहमति प्रदान करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक स्था0 प्रे0–2243 दिनांक 21.05.2019

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के माध्यम से प्राप्त प्रस्ताव पर सम्यक् विचारोपरान्त छात्रहित में विभागीय सहमति संसूचित की जाती है। तदनुसार अग्रेतर कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन
(अरशद फिरोज)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक : 09 / विविध–01 / 2018 286

पटना, दिनांक 23/5/2019

प्रतिलिपि : माननीय मंत्री, शिक्षा विभाग के आप्त सचिव / अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग के प्रधान आप्त सचिव / निदेशक, माध्यमिक शिक्षा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के उप सचिव।

E:\Sec Edu\Office Letter (SEC DIRECTOR-R) 801

पत्रांक विoपo सेo 2243

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति, पटना

प्रेषक,

सचिव,
बिहार विद्यालय परीक्षा समिति
पटना ।

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव,
शिक्षा विभाग,
बिहार सरकार ।

पटना, दिनांक 21 मई, 2019

विषयः इन्टरमीडिएट परीक्षा हेतु कक्षा 11 एवं 12 के लिए शैक्षणिक सत्र 2019–21 से नयी विषय योजना लागू करने के संबंध में विभागीय सहमति देने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सादर कहना है कि वर्तमान में इन्टरमीडिएट परीक्षा हेतु कक्षा 11 एवं 12 के लिए लागू भाषा विषय योजना से विद्यार्थियों एवं समिति को कई व्यावहारिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । विशेष रूप से वर्तमान भाषा विषय योजना में विद्यार्थियों को एक ओर दो भाषा विषयों के 50–50 अंक की परीक्षा में शामिल होने एवं इसके अतिरिक्त एक अन्य 100 अंक की भाषा विषय को चुनने की बाध्यता है । इससे परीक्षार्थियों पर भाषा विषय के अध्ययन का अतिरिक्त दबाव होने के साथ–साथ विषय की पुनरावृति भी हो रही है । इसके अतिरिक्त कई प्रकार के भाषा विषयां के कई सेट प्रश्न पत्र तैयार करने एवं तदनुसार उत्तरपुस्तिकाओं का मूल्यांकन करने में भी समय नष्ट होता है और अन्य प्रबंधन संबंधी कठिनाई होती है ।

2. इस संबंध में उपरोक्त समस्या के निराकरण हेतु निदेशक (शैक्षणिक) की अध्यक्षता में गठित उपसमिति द्वारा देश के विभिन्न परीक्षा बोर्ड यथा, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE), बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन मध्य प्रदेश, बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन राजस्थान, छत्तीसगढ बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजुकेशन, उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट एजुकेशन आदि के द्वारा उच्च माध्यमिक स्तर पर ली जाने वाली परीक्षा में लागू विषय योजना का अध्ययन करने के उपरांत केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) पैटर्न पर समिति द्वारा ली जाने वाली इंटरमीडिएट परीक्षा में भी निम्नांकित विषय योजना के अनुरूप परीक्षा लिये जाने की अनुशंसा की गयी है :

	विषय	विषयों के नाम
1	2	3
अनिवार्य विषय (Compulsory Subjects)	विषय संख्या–1	हिन्दी अथवा अँग्रेजी
	विषय संख्या–2	हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, प्राकृत, मगही, भोजपुरी, अरबी, परसियन, पाली एवं बंगला में से कोई एक (जो विषय संख्या–1 में नहीं लिया गया हो)

ऐच्छिक विषय (Elective Subjects)	विषय संख्या–3 विषय संख्या–4 विषय संख्या–5	कला, वाणिज्य, विज्ञान अथवा व्यवसायिक संकाय के तीन विषय (पूर्व की भाँति)
अतिरिक्त विषय (Additional Subject)	विषय संख्या–6	उक्त विषय संख्या– 2 के विषयों में से कोई एक (जो विषय संख्या–1 या 2 में नहीं लिया गया हो) अथवा कला, वाणिज्य, विज्ञान अथवा व्यावसायिक संकाय का कोई एक विषय (जो विद्यार्थी जिस संकाय का हो, वे उस संकाय के कोई एक विषय, जो विषय संख्या 3, 4, एवं 5 में नहीं लिया गया हो) चुन सकेगा. नोट :– 1. अगर किसी छात्र ने कुल छः विषयों का चयन किया है एवं वह यदि प्रथम पाँच विषय में से किसी एक विषय में फेल हो जाता है, तो वह विषय छठे (अतिरिक्त विषय) के अंक से परिवर्तित कर दिया जाएगा, बशर्ते कि परिवर्तित करने के उपरान्त पाँच उत्तीर्ण विषयों में एक हिन्दी या अंग्रेजी अवश्य हो। 2. वैसे अभ्यर्थी जिन्होनें छठे अतिरिक्त विषय का चयन किया है, सभी छः विषयों में उत्तीर्ण है तो पास प्रतिशत की गणना नामांकन लेने वाले विश्वविद्यालय/संस्थान या नियोजक के द्वारा अपने निर्धारित अर्हता के अनुरूप किया जाएगा।

3. उल्लेखनीय है कि राज्य में उच्च माध्यमिक (+2) स्तर के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली (NCERT) के अनुरूप पाठ्यक्रम एवं NCERT आधारित पाठ्यपुस्तकें लागू हैं । ऐसी स्थिति में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) पैटर्न पर समिति द्वारा ली जाने वाली इंटरमीडिएट परीक्षा में भी विषय योजना के अनुरूप परीक्षा लिये जाने की आवश्यकता है ।

4. इस संबंध में दिनांक 20 मई, 2019 को बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की हुई बैठक में सम्यक विचारोपरान्त केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) पैटर्न पर वर्ष 2019–21 से समिति की इंटरमीडिएट परीक्षा हेतु कक्षा 11 एवं 12 के लिए उपर्युक्त कंडिका–2 में अंकित विषय योजना को इस शर्त पर लागू करने का निर्णय लिया गया कि इस पर शिक्षा विभाग की सहमति प्राप्त कर ली जाय ।

5. अतः उक्त आलोक में निदेशानुसार सादर अनुरोध है कि दिनांक 20 मई, 2019 को आयोजित समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के आलोक में वर्ष 2019–21 से समिति की इंटरमीडिएट परीक्षा हेतु कक्षा 11 एवं 12 के लिए कंडिका–2 में विषय योजना लागू करने पर विभागीय सहमति संसूचित करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन,

21.05.2019

(अनुप कुमार सिन्हा)
सचिव